

राजस्थान-सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

2, जल पथ, गाँधीनगर, जयपुर

क्रमांक:- F 29 (3)/कार्यालय भवन निर्माण/मो./ ICDS /2017/

जयपुर, दिनांक:

उपनिदेशक,

116737-769

27-6-18

महिला एवं बाल विकास विभाग,

समस्त।

विषय:- वर्ष 2018-19 के लिए उपनिदेशक कार्यालय/बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय/ परियोजना अधिकारी कार्यालय भवन निर्माण हेतु तकमीना तैयार कर भिजवाने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप के जिले में जहाँ पर उपनिदेशक कार्यालय/बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय/परियोजना अधिकारी कार्यालय किराये के भवनों में संचालित किये जा रहे हैं। ऐसे भवनों के निर्माण हेतु भूमि/पट्टा प्राप्त कर सार्वजनिक निर्माण विभाग से संपर्क कर अनुमानित तकमीना/एस्टीमेट बनवाकर 15 दिवस में निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

जहाँ पट्टे प्राप्त कर लिये गये हैं वहाँ कार्यालय भवन निर्माण के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी नया परिपत्र प.26(3)साप्र/2/2014 दिनांक 28.04.2017 जिसमें की राजकीय कार्यालय/परिसर के निर्माण की स्वीकृति के संबंध में गठित कमेटी की अनुशंसा करवाकर प्रस्ताव निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करावें ताकि प्राप्त प्रस्तावानुसार कार्यालय भवन निर्माण की वित्तीय स्वीकृति जारी करने की आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- F 29 (3)/कार्यालय भवन निर्माण/मो./ ICDS /2017/

जयपुर, दिनांक:

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

27-6-18

1. मुख्य अभियंता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज.जयपुर।

✓ ACP को विभागीय वेब साईट पर अपलोड हेतु।


निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर